सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

का

क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न शाखाओं एवं कार्यालयों

के

हार्डवेयर और बाह्य उपकरण

हेतु

वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी)

हेतु

प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी)

विषयसूची

- आरएफपी के लिए निमंत्रण पृष्ठ संख्या-3
- बोलीदाताओं के लिए निर्देश पृष्ठ संख्या- 4
- नियम और शर्तें पृष्ठ संख्या- 8

आरएफपी के लिए निमंत्रण :

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट पात्र विक्रेताओं से सीलबंद कोटेशन आमंत्रित करता है।

विवरण नीचे दिया गया है:

निविदा संदर्भ संख्या	**आरओ:वीआईजे:आरसीसी: निविदा:एएमसी:2025 26:01 दिनांक:11.07.2025**
आरएफपी जारी करने की तिथि	**16.07.2025 से आगे**
संचार का पता	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, आरसीसी विभाग। धूम कॉम्प्लेक्स, चौथी मंजिल, श्रीनिवास नगर बैंक कॉलोनी, विजयवाड़ा -520008 आंध्र प्रदेश राज्य.
दस्तावेज़ लागत	रु . 5000/- (जीएसटी सहित) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आहरित और विजयवाड़ा में देय डीडी के माध्यम से। एमएसएमई पंजीकृत फर्मों के लिए दस्तावेज़ लागत में छूट है।
ईएमडी	रु . 25,000/- पच्चीस हज़ार (वापसी योग्य) सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के नाम से डीडी के माध्यम से और विजयवाड़ा में देय। एमएसएमई पंजीकृत फर्मों के लिए ईएमडी में छूट है।
प्रश्न प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय	**31.07.2025**
बोली-पूर्व बैठक की तिथि, समय और स्थान	**01.08.2025 अपराह्न 3.00 बजे तक** सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, धूम कॉम्प्लेक्स, चौथी मंजिल, श्रीनिवास नगर बैंक कॉलोनी, विजयवाड़ा -500095. आंध्र प्रदेश राज्य।
सीलबंद प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि और समय	**07.08.2025 अपराह्न 15.00 बजे**
बोली खोलने की तिथि और समय	**08.08.2025 शाम 16.00 बजे**
संपर्क टेलीफोन नंबर	फ़ोन : **9014961679 / 7993376780** लैंड लाइन नंबर-0866-2475943
ईमेल आईडी:	rccvijaro@centralbank.co.in
प्रस्तुत की जाने वाली बोलियां	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, आरसीसी विभाग , धूम कॉम्प्लेक्स, चौथी मंजिल, श्रीनिवास नगर बैंक कॉलोनी, विजयवाड़ा -500095 आंध्र प्रदेश राज्य में रखे ड्रॉप बॉक्स में डाला जाना है।

पृष्ठभूमि:

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा शहर कृष्णा में स्थित विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं में पीसी, सर्वर, लाइन प्रिंटर/प्रिंटर, स्कैनर और बाह्य उपकरणों (इस दस्तावेज़ के अनुलग्नक II में उल्लिखित) के लिए व्यापक एएमसी और संबंधित सेवाओं के लिए विक्रेता के चयन में रुचि रखता है **। आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिला , और पश्चिम गोदावरी जिला।**

विक्रेताओं से सीलबंद बोलियाँ आमंत्रित करता है जो नीचे दिए गए नियमों और शर्तों को स्वीकार करने और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं। इच्छुक विक्रेता अपनी बोलियाँ सहायक दस्तावेजों के साथ उपरोक्त पते पर, ऊपर बताई गई समयावधि के भीतर जमा कर सकते हैं।

निर्दिष्ट अनुसार विजयवाड़ा शहर और जिलों में स्थित कंप्यूटर (सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस), सभी प्रिंटर, पासबुक, 136 कोल एप्सन (स्टेटमेंट), 80 कोल एप्सन (डीडी/टीडीआर), फ्लैटबेड, स्पीड स्कैनर और सभी कंपनियों के लेजर प्रिंटर (सभी प्रकार के प्रिंटर के लिए प्रिंटर हेड और लाइन प्रिंटर के मामले में प्रिंट बैंड/प्रिंट मॉड्यूल सहित) आदि के व्यापक वार्षिक रखरखाव के लिए विक्रेताओं से सीलबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं।

1) **इच्छुक विक्रेताओं के लिए पात्रता मानदंड:**

ए)	बोलीदाता को बैंकों और वित्तीय संस्थानों (सार्वजनिक क्षेत्र) में पिछले तीन वर्षों से कंप्यूटर सिस्टम और बाह्य उपकरणों के रखरखाव के व्यवसाय में होना चाहिए।	अर्थात 2022, 2023 और 2024 के लिए कम से कम एक सेवा अनुबंध या कार्य आदेश का प्रमाण अनुलग्नक-ए के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए
बी)	बोलीदाता को पिछले तीन वर्षों से लाभ में होना चाहिए	वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाता अनुलग्नक-बी के रूप में प्रस्तुत किया जाना है
सी)	बोलीदाता का सहायता कार्यालय विजयवाड़ा शहर में होना चाहिए।	प्रमाण के साथ पता और संपर्क विवरण अनुलग्नक-सी के रूप में प्रस्तुत किया जाना है
डी)	बोलीदाता को क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा में नियुक्त करने के लिए एक अनुभवी निवासी इंजीनियर उपलब्ध कराना होगा।	रेजिडेंट इंजीनियर का बायोडेटा अनुलग्नक-डी के रूप में प्रस्तुत किया जाना है
ई)	बोलीदाता के पास अपने कार्यालयों/सेवा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में योग्य और अनुभवी इंजीनियर होने चाहिए जो आंशिक या पूर्ण उप-ठेकेदारी का सहारा लिए बिना, स्वयं आईटी अवसंरचना का समर्थन कर सकें। फ्रैंचाइज़ी के माध्यम से किसी भी प्रकार का समर्थन स्वीकार्य नहीं होगा।	विवरण अनुलग्नक-ई के अनुसार लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए
एफ)	बोलीदाता के पास कम से कम दो इंजीनियर होने चाहिए, जो विजयवाड़ा शहर में उपलब्ध होने चाहिए तथा एक इंजीनियर जिला शाखाओं में होना चाहिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।	विवरण पत्र शीर्ष पर अनुलग्नक-एफ के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए
जी)	बोलीदाता को पिछले 03 वर्षों से निविदाओं में भाग लेने से किसी भी संगठन द्वारा ब्लॉक सूचीबद्ध नहीं किया जाना चाहिए।	अनुलग्नक-जी के अनुसार लेटर हेड पर स्व-घोषणा प्रस्तुत की जानी है

एच)	बोलीदाता भारत के किसी भी बैंक में एनपीए खाताधारक नहीं होना चाहिए	अनुलग्नक-एच के अनुसार पत्र पर स्व-घोषणा प्रस्तुत की जानी है
आई)	बोलीदाता एक पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए जिसके पास वैध आईएसओ 9001-2008 या उससे ऊपर का आईटी/एएमसी के प्रासंगिक क्षेत्रों में योग्य सेवा/प्रमाणन हो।	अनुलग्नक-आई

2. बोलीदाताओं के लिए निर्देश

2.1 आमंत्रण प्रस्ताव प्रणाली

बोलीदाता बैंक की वेबसाइट (www.centralbankofindia.co.in) से निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड कर सकते हैं। बोली के साथ निविदा दस्तावेज़ की लागत के रूप में 5000/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (वापसी योग्य नहीं) संलग्न होना चाहिए।

a) फ्रेंचाइजी व्यवस्था वाले बोलीदाता बोली लगाने के **पात्र नहीं हैं ।**

b) निविदा की दो बोली प्रणाली

c) ऊपर उल्लिखित पते पर **सीलबंद लिफाफे** पर पूर्ण विवरण देते हुए ऊपर उल्लिखित समयावधि के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

d) लिफाफा-I (तकनीकी प्रस्ताव)

तकनीकी प्रस्ताव सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए और उसमें कीमतों को छोड़कर, मांगी गई जानकारी शामिल होनी चाहिए। तकनीकी प्रस्ताव में **कोई भी जानकारी नहीं होनी चाहिए। मूल्य संबंधी जानकारी।** यदि तकनीकी बोली में कहीं भी मूल्य संबंधी जानकारी नहीं है तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है।

- विजयवाड़ा क्षेत्र में हार्डवेयर और पेरिफेरल्स के लिए एएमसी हेतु प्रस्ताव - तकनीकी बोली
- प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि
- विक्रेता का नाम.

e) लिफाफा-II (वाणिज्यिक प्रस्ताव):

कोटेशन/प्रस्ताव में अनुलग्नक-IV के अनुसार सभी प्रासंगिक मूल्य जानकारी केवल बोलीदाता के लेटरहेड पर ही दी जानी चाहिए। किसी अन्य दस्तावेज़ में यह लिफ़ाफ़ा नहीं होना चाहिए।

- केवल विजयवाड़ा क्षेत्र में हार्डवेयर और पेरिफेरल्स के लिए एएमसी हेतु प्रस्ताव - मूल्य बोली
- प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि.
- विक्रेता का नाम.
- सभी लिफाफे सुरक्षित रूप से सीलबंद और स्टाम्पयुक्त होने चाहिए।
- केवल एक ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक वस्तु के लिए इकाई दर/एएमसी राशि उद्धृत की जानी चाहिए। वस्तुओं की मात्रा भिन्न हो सकती है (अर्थात वारंटी और एएमसी का समावेशन और बहिष्करण)।
- किसी भी कोटेशन में अधूरी जानकारी पाए जाने पर उसे सीधे खारिज कर दिया जाएगा।
- कोटेशन के साथ दस्तावेज़ लागत के लिए ₹ 5000/- (वापसी योग्य नहीं) का डिमांड ड्राफ्ट और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आहरित तथा विजयवाड़ा में देय ₹ 25000/- (वापसी योग्य) का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत छूट के पात्र बोलीदाताओं को वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- असफल बोलीदाताओं की ईएमडी आरएफपी प्रक्रिया पूरी होने पर वापस कर दी जाएगी; सफल बोलीदाताओं की ईएमडी निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने के बाद वापस कर दी जाएगी।

f) तीसरे लिफाफे में रखा जाना चाहिए , सीलबंद किया जाना चाहिए और निम्नलिखित जानकारी लिखकर जमा किया जाना चाहिए।

- विजयवाड़ा क्षेत्र में हार्डवेयर और पेरिफेरल्स के लिए व्यापक एएमसी का प्रस्ताव
- प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि.
- विक्रेता का नाम.

सीलबंद तीसरा लिफाफा यहां रखे ड्रॉप बॉक्स में डाला जाना चाहिए।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
क्षेत्रीय कार्यालय, आरसीसी विभाग ,
धूम कॉम्प्लेक्स, चौथी मंजिल,
श्रीनिवास नगर बैंक कॉलोनी,
विजयवाड़ा -520008
आंध्र प्रदेश राज्य.
मोबाइल: **9014961679 / 7993376780**

2.2 उद्धरण

सभी प्रस्ताव दस्तावेजों पर अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।

विक्रेता को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रस्ताव में निर्दिष्ट सभी वस्तुओं के लिए मूल्य उद्धृत किया गया है। प्रत्येक वस्तु के लिए इकाई-वार दरें उद्धृत की जानी चाहिए। विक्रेता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह निर्दिष्ट कार्य करने की स्थिति में है।

एल1 विक्रेता की पहचान पूर्णतः स्वामित्व की कुल लागत (टीसीओ) के आधार पर की जाएगी ।

***2.3* प्रस्ताव की वैधता**

प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि से न्यूनतम 90 दिनों की अवधि के लिए वैध होना चाहिए।

2 .4 संचार के लिए पता

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
क्षेत्रीय कार्यालय, आरसीसी विभाग ,
धूम कॉम्प्लेक्स, चौथी मंजिल,
श्रीनिवास नगर बैंक कॉलोनी,
विजयवाड़ा -500028
मोबाइल: **9014961679 / 7993376780**
आंध्र प्रदेश राज्य.
या **rccvijaro@centralbank.co.in** पर मेल करें

2.5 प्रस्तावों में संशोधन और वापसी

बैंक को प्रस्ताव के समापन से पहले प्रस्ताव और उसकी शर्तों में संशोधन/परिवर्तन करने का अधिकार है। विक्रेता अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद उसे संशोधित या वापस ले सकता है, बशर्ते कि संशोधन या वापसी की लिखित सूचना बैंक को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तिथि और समय से पहले प्राप्त हो जाए। विक्रेता द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय के बाद कोई भी प्रस्ताव संशोधित नहीं किया जा सकता है ।

2.6 प्रारंभिक जांच

बैंक यह निर्धारित करने के लिए प्रस्तावों की जाँच करेगा कि क्या वे पूर्ण हैं, क्या उनमें कोई त्रुटियाँ हैं, क्या दस्तावेज़ों पर उचित हस्ताक्षर किए गए हैं और क्या वस्तुओं का उद्धरण निर्दिष्ट अनुसार है। बैंक अपने विवेकानुसार, -किसी प्रस्ताव में किसी भी छोटी-मोटी असंगति या छोटी-मोटी अनियमितता को माफ कर सकता है। यह सभी विक्रेताओं पर बाध्यकारी होगा और बैंक ऐसी छूट का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.7 प्रस्तावों का स्पष्टीकरण

प्रस्तावों की जाँच, मूल्यांकन और तुलना में सहायता के लिए, बैंक अपने विवेकानुसार, कुछ या सभी विक्रेताओं से उनके प्रस्ताव के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकता है। ऐसे स्पष्टीकरण का अनुरोध और उसका उत्तर अनिवार्य रूप से लिखित रूप में होगा। बैंक को उस विक्रेता को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है जिसका स्पष्टीकरण बैंक को उपयुक्त नहीं लगता।

2.8 न्यूनतम या किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोई प्रतिबद्धता नहीं

बैंक इस प्रस्ताव सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त न्यूनतम या किसी अन्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का हकदार होगा, जिसमें विलंबित या अपूर्ण प्रस्ताव भी शामिल हैं। बैंक अनुबंध की शर्तों में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक किसी भी विक्रेता से मिलने, चर्चा करने और/या किसी भी अभ्यावेदन को सुनने के लिए बाध्य नहीं होगा।

2.9 उपकरण का ब्रांड और मॉडल

किसी क्लस्टर में उपलब्ध हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक II में दिया गया है** । सभी वस्तुओं के लिए कोटेशन देना अनिवार्य है। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में दिए गए संक्षिप्त विवरण केवल सांकेतिक हैं। विक्रेता को प्रत्येक वस्तु के लिए इकाई दर कोटेशन देना होगा। किसी भी बोली में एक या अधिक वस्तुओं के लिए आइटम गायब होने पर उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

2.10 एएमसी के तहत पेश किए गए हार्डवेयर का स्थान

जैसा कि अनुलग्नक-V में उल्लेख किया गया है

विक्रेता ऊपर उल्लिखित स्थानों पर जा सकते हैं और स्वयं भी माल की जांच कर सकते हैं।

2.11 प्रस्ताव का प्रारूप

प्रस्ताव <u>अनुलग्नक-IV के अनुसार सुझाए गए प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए</u>

2.12 विलोपन या परिवर्तन

जिन प्रस्तावों में मिटाए गए शब्द या परिवर्तन शामिल हैं, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव में कोई हस्तलिखित सामग्री, सुधार या परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बैंक इन दिशानिर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकार्य मान सकता है।

2.13 लागत और मुद्रा

प्रस्ताव केवल भारतीय रुपये में ही होना चाहिए और इसमें सभी कर और शुल्क शामिल होने चाहिए। लागू होने पर जीएसटी अतिरिक्त देय होगा।

2.14 मात्राओं में परिवर्तन का अधिकार

बैंक प्रस्ताव में निर्दिष्ट हार्डवेयर मात्रा में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक प्रस्ताव में निर्दिष्ट वस्तुओं की सूची में एक या अधिक वस्तुओं को जोड़ने या हटाने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

2.15 तकनीकी सहायता कर्मचारी

विक्रेता को विजयवाड़ा साइट पर पूर्णकालिक आधार पर कम से कम एक रेजिडेंट इंजीनियर तैनात करना होगा। **तकनीकी सहायता रेजिडेंट इंजीनियर का मासिक वेतन ₹25000/- होगा, जिसका वहन विक्रेता द्वारा किया जाएगा।** हालाँकि, बैंक आवश्यक संसाधनों की संख्या तय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

विक्रेता के कर्मचारी: विक्रेता द्वारा नियोजित ऐसे कर्मचारी विक्रेता के कर्मचारी होंगे, किसी भी स्थिति में उक्त कर्मचारी को बैंक का कर्मचारी नहीं माना जाएगा। बैंक उक्त कर्मचारी के प्रति उत्तरदायी/उत्तरदायी नहीं है और वेतन, भत्ते और किसी भी अन्य राशि का भुगतान विक्रेता की जिम्मेदारी होगी। सरकारी नियमों और विनियमन के अनुसार विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि वेतन, भविष्य निधि/ग्रेच्युटी और पेंशन सहित सभी अपेक्षित भुगतान, यदि कोई हो, विक्रेता द्वारा किया जाएगा और उक्त कर्मचारी के प्रति किसी भी प्रकार की कोई देयता बैंक पर नहीं आएगी। विक्रेता इसके द्वारा बैंक को क्षतिपूर्ति करता है और बैंक को सभी नुकसानों, क्षतियों, खर्चों और दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति रखने के लिए सहमत होता है, जो बैंक को हो सकते हैं/उठाए जा सकते हैं या जो उक्त विक्रेता के संबंध में बैंक के खिलाफ किए जा सकते हैं।

2.16 मूल्य परिवर्तन और पुर्जों की आपूर्ति

विक्रेता द्वारा उद्धृत मूल्य न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि के लिए वैध होना चाहिए। विक्रेता को कोटेशन के साथ यह वचन देना होगा कि वह कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता के साथ सेवा प्रतिबद्धता देता है।

2.17 गोपनीयता खंड

यह दस्तावेज़ गोपनीय है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की संपत्ति है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्पष्ट अनुमति के बिना इसे किसी भी रूप में प्रसारित, कॉपी या पुनरुत्पादित नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी उल्लंघन पर कार्रवाई की जा सकती है।

2.18 बोली में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होने चाहिए :

i. संलग्न प्रारूप में आवेदन
ii. कंपनी प्रोफाइल- इस दस्तावेज़ के खंड संख्या 1 के समर्थन में विवरण को उजागर किया जाना है।
iii. सेवा/सहायता नेटवर्क का विवरण (पते, संपर्क व्यक्तियों के नाम, फोन नंबर आदि)
iv. प्रसंस्करण के दौरान बैंक द्वारा अपेक्षित और मांगा गया कोई अन्य दस्तावेज।

3. अन्य नियम और शर्तें

3.1 काम की गुंजाइश

3.1.1 व्यापक वार्षिक रखरखाव (एएमसी) में कंप्यूटर सिस्टम/मशीनों, सर्वरों का निवारक और सुधारात्मक रखरखाव शामिल होगा और इसमें विक्रेता के स्वयं के खर्च पर अनुपयोगी

पुर्जों की आपूर्ति और प्रतिस्थापन भी शामिल होगा। प्रत्येक तिमाही में एक बार, विक्रेता सभी मशीनों का निवारक रखरखाव करेगा और सेवा रिपोर्ट पर संबंधित बीएम द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाएँगे। भुगतान के लिए चालान जमा करते समय, सेवा रिपोर्ट की प्रति जमा करनी होगी। व्यापक वार्षिक रखरखाव में (सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस) प्रिंटर (सभी प्रिंटरों के लिए प्रिंटर हेड और लाइन प्रिंटर के मामले में प्रिंट बैंड/प्रिंट मॉड्यूल सहित) का रखरखाव भी शामिल है।

3.1.2 प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में, विक्रेता इन्वेंट्री तैयार करेगा और उसे अनुमोदन के लिए हमारे प्रशासन विभाग को प्रस्तुत करेगा और तिमाही के लिए भुगतान अनुमोदित इन्वेंट्री के आधार पर किया जाएगा।

3.1.3 पुर्जों के प्रतिस्थापन की स्थिति में, कंप्यूटर सिस्टम से हटाए गए पुराने/दोषपूर्ण पुर्जे विक्रेता की संपत्ति बन जाएँगे। बदले जाने वाले पुर्जे या तो नए पुर्जे होंगे या उनके समकक्ष या नए पुर्जों के साथ मौजूदा पुर्जों की अनुकूलता होगी।

3.1.4 सभी रखरखाव/मरम्मत का कार्य विक्रेता या विक्रेता के अधिकृत कार्मिक द्वारा किया जाएगा।

3.1.5 विक्रेता क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा में अपने सेवा इंजीनियरों की सेवाएं पूर्णकालिक आधार पर उपलब्ध कराएगा।

3.1.6 विक्रेता को किसी भी अस्थायी प्रतिस्थापन की सुविधा के लिए विजयवाड़ा क्षेत्रीय कार्यालय में पर्याप्त अतिरिक्त मशीनें और अन्य पुर्जे रखने होंगे। अस्थायी प्रतिस्थापन की सुविधा के लिए विक्रेता को कम से कम 2 पीसी , 2 प्रिंटर और 2 स्कैनर (पूरी मशीनें/नवीनतम कॉन्फ़िगरेशन वाले) उपलब्ध कराने होंगे।

3.1.7 कम्प्यूटर सिस्टम/मशीनें और सर्वर परिवहन के दौरान तथा रखरखाव या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नए स्थान पर ले जाए जाने पर एएमसी समझौते के अंतर्गत आते रहेंगे।

3.1.8 उपलब्ध कराए गए इंजीनियरों को बैंक की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 10/11 ओएस -64 बिट आदि , लिनक्स और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने में पारंगत होना चाहिए और यह समय-समय पर बदल सकता है।

3.2 सेवा के घंटे:

3.2.1 विक्रेता द्वारा रखरखाव सेवा का प्रावधान सभी सामान्य कार्य दिवसों में बैंक के सामान्य कार्य घंटों तक ही सीमित रहेगा।

3.2.2 सक्षम प्राधिकारी की पूर्व व्यवस्था के बिना रविवार और छुट्टियों के दिन कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

3.2.3 बैंक का सामान्य कार्य समय सभी कार्यदिवसों में सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक है। हालाँकि, यदि रखरखाव सेवाओं की आवश्यकता सामान्य कार्य समय के बाद पड़ती है, तो कोई अतिरिक्त शुल्क/लागत नहीं दी जाएगी।

3.3 अनुबंध की अवधि:

3.3.1 अनुबंध प्रारंभ में दो वर्ष की अवधि [अर्थात 01.10.2025 से 30.09.2027 तक] के लिए वैध होगा। बैंक के पूर्ण विवेक और विक्रेता के संतोषजनक कार्य-निष्पादन पर अनुबंध अवधि को एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। विक्रेता के कार्य-निष्पादन की प्रत्येक तिमाही में समीक्षा की जाएगी और बैंक अपने पूर्ण विवेक से बिना कोई कारण बताए तीस (30) दिन का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.4 उपकरण की देखभाल:

3.4.1 बैंक विक्रेता को कम्प्यूटर प्रणाली/मशीनों तक पूर्ण पहुंच प्रदान करेगा ताकि विक्रेता व्यापक रखरखाव सेवा प्रदान कर सके।

3.4.2 बैंक विक्रेता को उसकी आवश्यकताओं के लिए रखरखाव उपकरण, स्पेयर पार्ट्स और स्पेयर मशीनों के भंडारण के लिए उपयुक्त कार्य स्थान/सुविधाएं प्रदान करेगा।

3.4.3 विक्रेता को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुरक्षित प्रणालियां प्रत्येक माह कम से कम 95% समय तक बैंक को उचित कार्यशील स्थिति में उपलब्ध रहें ।

3.5 . उपकरण की आवाजाही :

3.5.1 बैंक विक्रेता को सूचित करते हुए किसी भी उपकरण को स्थापना स्थल से किसी अन्य स्थान पर ले जाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.5.2 कंप्यूटर सिस्टम/मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से संबंधित सभी लागत/प्रभार बैंक द्वारा देय होंगे। यदि कंप्यूटर सिस्टम/मशीनों को रखरखाव के उद्देश्य से स्थानांतरित किया जाता है , तो ऐसी लागत/प्रभार विक्रेता द्वारा वहन किए जाएँगे।

3.5.3 इसके अंतर्गत, सभी कंप्यूटर सिस्टम/मशीनों के लिए बैंक द्वारा रखरखाव शुल्क का भुगतान किया जाएगा, भले ही अनुबंध के अनुसार रखरखाव सेवा प्रदान करने के लिए विक्रेता द्वारा एक या एक से अधिक कंप्यूटर सिस्टम/मशीनों को स्थानांतरित किया गया हो।

3.5.4 यदि बैंक किसी एक या अधिक कंप्यूटर सिस्टम/मशीनों को बेचता है या उनका स्वामित्व हस्तांतरित करता है, तो बैंक और विक्रेता दोनों के दायित्व आनुपातिक रूप से तुरंत समाप्त हो जाएँगे। यदि कोई मशीन उपयोग से हटा ली जाती है, तो एएमसी शुल्क आनुपातिक रूप से कम कर दिए जाएँगे।

3.6. इस एएमसी अनुबंध का दायरा:

यह विशेष रूप से कहा गया है कि इस आरएफपी दस्तावेज़ में बताई गई बातों के अलावा, एएमसी के दायरे में निम्नलिखित शामिल होंगे:

3.6.1 प्रिंटर हेड के प्रतिस्थापन/मरम्मत की लागत।

3.6.2 लाइन प्रिंटर के मामले में कैरेक्टर बैंड, प्रिंट बैंड, हेड मॉड्यूल आदि सहित सभी भागों के प्रतिस्थापन की लागत।

3.6.3 लेज़र प्रिंटर के मामले में फ्यूज असेंबली की लागत

3.6.4 वायरस से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान।

3.6.5 सामान्य सिस्टम से संबंधित सॉफ्टवेयर का रखरखाव।

हालाँकि, ऑपरेटिंग सिस्टम, सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

3.7. शुल्क और करों का भुगतान :

3.7.1 रखरखाव शुल्क तिमाही आधार पर अर्थात संबंधित तिमाही के पूरा होने के बाद बकाया के रूप में देय होगा।

3.7.2 किसी भी अतिदेय रखरखाव शुल्क के लिए बैंक द्वारा कोई जुर्माना या ब्याज आदि देय नहीं होगा।

3.7.3 विक्रेता को त्रैमासिक रखरखाव शुल्क के भुगतान के लिए चालान तैयार करना होगा।

3.7.4 विक्रेता को बैंक को सभी तिमाहियों के एएमसी शुल्कों के अनुरूप एक निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। यदि विक्रेता बैंक को निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो पहली तिमाही के लिए देय रखरखाव शुल्क, अनुबंध की समाप्ति तक बैंक द्वारा प्रतिधारण राशि के रूप में रखा जाएगा।

3.7.5 बैंक द्वारा देय रखरखाव शुल्क में सभी लागू कर, शुल्क, लेवी आदि शामिल हैं। हालांकि, कार्य अनुबंध के लिए लागू जीएसटी अतिरिक्त देय होगा।

3.7.6 कंप्यूटर सिस्टम/मशीनों की विशेषताओं में परिवर्तन या परिवर्धन के परिणामस्वरूप न्यूनतम रखरखाव शुल्क में परिवर्तन हो सकता है, जिसे आपसी विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। वारंटी से बाहर आने वाले हार्डवेयर को हार्डवेयर सूची में जोड़ा जाएगा और इसी प्रकार हटाए जाने या अप्रचलित होने के कारण हार्डवेयर की सूची से हटाए गए हार्डवेयर को भी हटा दिया जाएगा और भुगतान आनुपातिक रूप से किया जाएगा।

सेवाएँ प्रदान करने की तिथि तक सरकारी शुल्कों/करों/आदि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन (बढ़ोतरी या कमी) की स्थिति में, उसका लाभ या भार बैंक को हस्तांतरित या समायोजित किया जाएगा। यदि सेवा प्रदाता इन दिशानिर्देशों का पालन किए बिना कोई सशर्त या अस्पष्ट प्रस्ताव देता है, तो बैंक उद्धृत मूल्य को इन दिशानिर्देशों के अनुरूप मानेगा और तदनुसार कार्यवाही करेगा।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और उसका अनुपालन

(i) भारत में वस्तु एवं सेवा कर कानून एक व्यापक, बहु-चरणीय, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाएगा। विक्रेता को समय-समय पर लागू जीएसटी कानून का पालन करना होगा, साथ ही नीचे उल्लिखित कुछ अनिवार्य विशेषताओं का भी पालन करना होगा-

कर योग्य वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता को किए गए या जमा किए गए भुगतान पर जीएसटी कानून के तहत लागू टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की कटौती करना आवश्यक है और

सेवाएँ। इससे कर आधार में वृद्धि होगी और प्रक्रियाओं पर आधारित अनुपालन और स्व-अनुरक्षण कर कानून होगा। इन अधिनियमों में निहित वैधानिक अनुपालनों में मौजूदा करदाताओं के साथ-साथ नए करदाताओं द्वारा जीएसटी कानून के तहत पंजीकरण प्राप्त करना, करों का आवधिक भुगतान और सभी पंजीकृत कर योग्य व्यक्तियों द्वारा विभिन्न विवरणी रिटर्न प्रस्तुत करना शामिल है।

(ख) जीएसटी कानून के तहत कर की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीआर) से

होने वाले लाभ को कीमतों में समानुपातिक कमी के माध्यम से बैंक को देना अनिवार्य है।

(ग) यदि विक्रेता, जैसा भी मामला हो, जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) पोर्टल पर बैकलिस्टेड है या आपूर्तिकर्ता की रेटिंग अनिवार्य स्तर से नीचे है, जैसा कि समय-समय पर तय किया जाता है, तो यह अनुबंध को रद्द करने का प्रासंगिक आधार हो सकता है।

4- बैंक, लागू कानून के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती करेगा। सेवा प्रदाता, नगरपालिका और स्थानीय निकायों सहित सरकारी प्राधिकरणों या इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य कर का भुगतान अलग से या जीएसटी के साथ करेगा।

3.8. विक्रेता के दायित्व :

रखरखाव कार्य पूरा करने में 24 घंटे से अधिक की देरी के लिए विक्रेता को प्रत्येक दिन के अनुसार जुर्माना देना होगा, जो इस प्रकार होगा:

हार्डवेयर आइटम और बाह्य उपकरणों के लिए

1. सर्वर (गेटवे पीसी) रु . 2,000/-
2. पीसी/डेस्कटॉप रु . 200/-
3. डॉट मैरिक्स -प्रिंटर
   132 कॉलम एवं पास बुक 400/- रु .
4. अन्य प्रिंटर और स्कैनर 100/- रु .

रखरखाव की सुविधा के लिए बैंक कार्यालय, विजयवाड़ा में तैनात इंजीनियर के अवकाश/अनुपस्थिति की स्थिति में, विक्रेता को उचित प्रतिस्थापन हेतु आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। यदि विक्रेता ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे प्रतिदिन 500/- रुपये की दर से जुर्माना देना होगा।

3.9. समनुदेशन:

बैंक को निम्नलिखित की घटना होने पर, अपने एकमात्र विकल्प पर, किसी भी ठेकेदार/उप-ठेकेदार को सभी या ऐसे हिस्से की सेवाएं सौंपने का अधिकार होगा: (i) विक्रेता प्रदर्शन करने से इनकार करता है; (ii) विक्रेता प्रदर्शन करने में असमर्थ है; (iii) किसी भी कारण से विक्रेता के साथ अनुबंध की समाप्ति; (iv) अनुबंध की समाप्ति। ऐसा अधिकार बैंक के विक्रेता के खिलाफ अधिकारों और उपायों के प्रतिकूल प्रभाव के बिना होगा। विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त उप-ठेकेदार विक्रेता द्वारा प्रदान की गई तुलना में कम अनुकूल शर्तों पर बैंक को ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत होंगे और ऐसे उप-ठेकेदारों के साथ विक्रेता द्वारा किए गए समझौते में इस आशय के उपयुक्त शब्द शामिल होंगे। इस परिदृश्य में परिकल्पित असाइनमेंट केवल कुछ चरम घटनाओं जैसे विक्रेता के इनकार या प्रदर्शन करने में असमर्थता या अनुबंध की समाप्ति/समाप्ति के लिए है **।**

3.10. समाप्ति:

बैंक विक्रेता को तीस (30) दिन पूर्व लिखित नोटिस देकर किसी भी समय विक्रेता के साथ समझौते को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

यदि विक्रेता ऐसा करता है तो बैंक को नोटिस देकर किसी भी समय अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।
क . उसके विरुद्ध समापन आदेश दिया गया है; या
ख . सभी या पर्याप्त परिसंपत्तियों पर एक रिसीवर नियुक्त किया गया है; या
ग . अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है या हो जाता है, जब वे देय हो जाते हैं; या
घ . अपने लेनदारों के साथ या उनके लाभ के लिए कोई व्यवस्था या संयोजन करता है; या
ई . अपने स्वैच्छिक समापन या विघटन के लिए या यदि यह विघटित हो जाए तो प्रस्ताव पारित करता है।

विक्रेता को केवल बैंक के बंद होने की स्थिति में ही अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा। बैंक किसी भी दोष के निवारण हेतु अवधि निर्दिष्ट करेगा।

3.11. अप्रत्याशित घटना :

विक्रेता को अधिसूचित अप्रत्याशित घटना जैसे दैवीय आपदा, सरकारी संप्रभु कार्रवाई, दंगे, युद्ध, नागरिक उपद्रव, तोड़फोड़, बाढ़, भूकंप, आपदा, महामारी आदि के कारण होने वाली देरी के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
ऐसे मामले में, निष्पादन के लिए समय को उस विलंब की अवधि से कम अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा। यदि विलंब की अवधि तीन महीने से अधिक समय तक जारी रहती है, तो दोनों पक्ष समस्या का समाधान खोजने के प्रयास में एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।
उपरोक्त के बावजूद, बैंक का निर्णय अंतिम होगा और विक्रेता पर बाध्यकारी होगा।

3.12. विवादों का समाधान
बैंक और बोलीदाता, अनुबंध के अंतर्गत या उससे संबंधित किसी भी असहमति या विवाद को सीधे अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि ऐसी अनौपचारिक बातचीत शुरू होने के तीस दिन बाद भी, बैंक और बोलीदाता अनुबंध विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने में असमर्थ रहते हैं, तो कोई भी पक्ष यह मांग कर सकता है कि विवाद को औपचारिक मध्यस्थता द्वारा समाधान के लिए भेजा जाए।
अनुबंध के अंतर्गत या उससे संबंधित उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न, विवाद या मतभेद दो मध्यस्थों को भेजे जाएंगे: एक मध्यस्थ बैंक द्वारा नामित किया जाएगा और दूसरा बोलीदाता द्वारा नामित किया जाएगा।
यदि उक्त मध्यस्थ सहमत नहीं होते हैं, तो मामले को मध्यस्थों द्वारा नियुक्त एक निर्णायक को भेजा जाएगा, जिसे संदर्भ प्रक्रिया शुरू करने से पहले लिखित रूप में मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्थों का निर्णय, और उनके सहमत न होने की स्थिति में, उनके द्वारा नियुक्त निर्णायक का निर्णय अंतिम होगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा और मध्यस्थता का स्थान विजयवाड़ा होगा।
मध्यस्थता की भाषा अंग्रेज़ी होगी। किसी विवाद के अस्तित्व में होने और/या मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने के बावजूद, विक्रेता से अपेक्षा की जाएगी कि वह सुविधा प्रबंधन सेवाएँ जारी रखे और बैंक उसके द्वारा स्वीकार किए गए सभी उत्पादों और सेवाओं के लिए भुगतान करता रहेगा, बशर्ते कि सभी उत्पाद और सेवाएँ बैंक की संतुष्टि के अनुसार संतोषजनक ढंग से प्रदान की जा रही हों।
यदि अनुबंध पर हस्ताक्षर के बाद किसी भी पक्ष को सूचना भेजनी है, तो वह लिखित रूप में होनी चाहिए और उसे पहले फैक्स द्वारा पंजीकृत डाक द्वारा, पावती सहित, या किसी प्रतिष्ठित कूरियर सेवा द्वारा, सूचना देने वाले पक्ष द्वारा चुनी गई विधि से प्रेषित किया जाएगा। सभी सूचनाएँ (i) यदि फैक्स द्वारा प्रेषित की जाती हैं, तो पुष्टिकृत उत्तर के साथ प्रेषण की तिथि के तुरंत बाद की कार्य तिथि को, या (ii) यदि पंजीकृत डाक द्वारा AD के साथ भेजी जाती हैं, तो पोस्टिंग के पाँच दिन बाद, या (iii) यदि कूरियर द्वारा भेजी जाती हैं, तो प्राप्ति की कार्य तिथि को वैध रूप से दी गई मानी जाएँगी।

यह आरएफपी भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्यायित होगा। केवल मुंबई की अदालतें, और कोई अन्य अदालतें इस आरएफपी से संबंधित या इससे उत्पन्न किसी भी विवाद या मामले पर विचार करने और सुनवाई करने की हकदार नहीं होंगी। उपरोक्त के बावजूद, बैंक को उचित अधिकार क्षेत्र वाली किसी भी अदालत के समक्ष उचित कार्यवाही शुरू करने का अधिकार होगा, यदि वह ऐसा करना उचित समझे।

परिसमापन क्षति

1. यदि सफल बोलीदाता/विक्रेता अनुबंध/एसएलए में निर्दिष्ट अवधि के भीतर सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है, तो बैंक, अनुबंध के तहत अपने अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सेवा में प्रत्येक ऐसी चूक के लिए अनुबंध मूल्य से परिसमाप्त क्षति (एलडी) के रूप में जुर्माना काट लेगा।

2. वास्तविक डिलीवरी या निष्पादन तक की देरी के लिए, निर्धारित क्षतिपूर्ति (एलडी) प्रत्येक सप्ताह या उसके किसी भाग के लिए अनुबंध राशि के 1% के बराबर राशि होगी। हालाँकि, काटी गई निर्धारित क्षतिपूर्ति की कुल राशि अनुबंध राशि के 10% पर निर्धारित की जाएगी। निर्धारित क्षतिपूर्ति अनुबंध राशि के 10% तक पहुँचने पर, बैंक अनुबंध को समाप्त करने या बैंक गारंटी जब्त करने पर विचार कर सकता है। इस संदर्भ में

बैंक दोनों अधिकारों का संयुक्त रूप से या अकेले प्रयोग कर सकता है। बैंक संबंधित विक्रेता को इस संबंध में समान राशि की नई बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है।

उस समय, अनुबंध मूल्य बैंक द्वारा देय वास्तविक राशि तक कम हो जाएगा। सफल बोलीदाता को देय भुगतान भी आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा। उस समय बैंक को दिए गए सभी वितरण बैंक की संपत्ति बने रहेंगे और बैंक उनका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए कर सकता है जिसे वह उचित समझे।

क्षतिपूर्ति

1. बोलीदाता बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा, और हमेशा क्षतिपूर्ति करता रहेगा तथा बैंक, उसके कर्मचारियों, कार्मिकों, अधिकारियों, निदेशकों को किसी भी और सभी हानियों, देनदारियों, दावों, कार्रवाइयों, लागतों और खर्चों (वकील की फीस सहित) से सुरक्षित रखेगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी तरह से बैंक के खिलाफ लाए गए किसी भी दावे, मुकदमे या कार्यवाही से उत्पन्न होते हैं:

i. इस आरएफपी के तहत बोलीदाता द्वारा प्रदान की गई डिलिवरेबल्स और/या सेवाओं का बैंक द्वारा अधिकृत/ वास्तविक उपयोग या एसएलए (सेवा स्तर समझौता) या पीओ और/या में निर्धारित किसी या सभी नियमों और शर्तों का बैंक द्वारा अधिकृत/वास्तविक उपयोग

ii. इस आरएफपी के तहत बोलीदाता के दायित्वों के प्रदर्शन में बोलीदाता, कर्मचारियों, एजेंटों, उप-ठेकेदारों का कोई कार्य या चूक या एसएलए (सेवा स्तर समझौता) या खरीद आदेश (पीओ) और/या में निर्धारित किसी या सभी नियमों और शर्तों का पालन न करना।

iii. बोलीदाता द्वारा तैनात कर्मचारियों या उपठेकेदारों या उपठेकेदारों के कर्मचारियों द्वारा बैंक और/या के विरुद्ध किए गए दावे

iv. इस आरएफपी की किसी भी शर्त का उल्लंघन या इस आरएफपी के तहत बोलीदाता के किसी भी प्रतिनिधित्व या झूठे प्रतिनिधित्व या गलत बयान या आश्वासन या वाचा या वारंटी का उल्लंघन या; एसएलए (सेवा स्तर समझौते) या पीओ और/या में निर्धारित किसी भी या सभी नियमों और शर्तों का उल्लंघन

v. कोई भी या सभी डिलीवरेबल्स या सेवाएं जो किसी भी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या ऐसे अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करती हैं और/या

vi. इस आरएफपी में निहित बोलीदाता के गोपनीयता दायित्वों का उल्लंघन या; एसएलए (सेवा स्तर समझौता) या पीओ और/या में निर्धारित कोई या सभी नियम और शर्तें

vii. बोलीदाता या उसके कर्मचारियों, एजेंट या उप - ठेकेदारों के कारण लापरवाही या घोर कदाचार।

2. बोलीदाता को अपनी लागत और खर्च पर बैंक के खिलाफ किसी भी दावे का बचाव या निपटान करना होगा कि इस आरएफपी के तहत वितरित या प्रदान की गई डिलिवरेबल्स और सेवाएं उस देश में पेटेंट, उपयोगिता मॉडल, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट, व्यापार रहस्य, मुखौटा कार्य या ट्रेडमार्क का उल्लंघन करती हैं जहां डिलिवरेबल्स और सेवाओं का उपयोग, बिक्री या प्राप्त किया जाता है, बशर्ते बैंक:

i. बोलीदाता को लिखित रूप में सूचित करना; और
ii. दावों के बचाव और निपटान में बोलीदाता के साथ सहयोग करता है।
3. बोलीदाता बैंक को हुए ऐसे प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान की भरपाई करेगा यदि

बोलीदाता बग्स को ठीक करने में विफल रहता है, आवश्यकतानुसार संशोधन / संवर्द्धन / अनुकूलन प्रदान नहीं करता है
बैंक द्वारा इस आरएफपी के नियमों और शर्तों के अनुसार तथा बैंक की संतुष्टि के अनुसार सेवा स्तरों को पूरा करने के लिए।

4. इसके अतिरिक्त, बोलीदाता बैंक को सभी दावों, हानियों, लागतों, क्षतियों, व्ययों, कार्रवाई, मुकदमों और अन्य कार्यवाहियों से क्षतिपूर्ति, सुरक्षा और बचाव प्रदान करेगा।
(i) कि इस अनुबंध के अंतर्गत वितरित या प्रदान की गई डिलिवरेबल्स और सेवाएं किसी भी देश में पेटेंट, उपयोगिता मॉडल, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट, व्यापार रहस्य, मुखौटा कार्य या ट्रेडमार्क का उल्लंघन करती हैं, जहां डिलिवरेबल्स और सेवाओं का उपयोग, बिक्री या प्राप्ति की जाती है; और/या बोलीदाता जीएसटीआर 2ए में आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के किसी भी बेमेल के मामले में बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा, जहां बैंक आपूर्ति पर जीएसटी घटक के प्रतिधारण का विकल्प नहीं चुनता है।
(ii) किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि के उल्लंघन या कॉपीराइट अधिनियम, 1957 या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 या किसी कानून, नियम, विनियमन, उपनियम, अधिसूचना सहित किसी भी कानून के तहत ऐसे अन्य वैधानिक उल्लंघन के परिणामस्वरूप, जो उनके द्वारा बैंक को किसी भी स्रोत से आपूर्ति किए गए सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क उपकरण या अन्य प्रणालियों के संबंध में लागू किया जा रहा है, बशर्ते बैंक बोलीदाता को लिखित रूप में यथाशीघ्र सूचित करे जब बैंक को दावे के बारे में पता चले, हालांकि:
क) बोलीदाता के पास बचाव और सभी संबंधित निपटान वार्ताओं का एकमात्र नियंत्रण है।
(ख) बैंक बोलीदाता को उपरोक्त कार्य करने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक सहायता, जानकारी और अधिकार प्रदान करेगा और बोलीदाता को बैंक या किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा दावे के बारे में कोई भी बयान, टिप्पणी या अभ्यावेदन देने के अधिकार की जानकारी होगी। क्षतिपूर्ति न्यायालय या मध्यस्थता द्वारा दिए गए हर्जाने तक सीमित होगी।

5. क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा दिए गए हर्जाने या मध्यस्थता द्वारा दिए गए हर्जाने तक सीमित होगी। हालाँकि, क्षतिपूर्ति में नियामक प्राधिकरणों द्वारा किए गए दावों से बैंक को होने वाले नुकसान, हानि या देनदारियाँ, क्षतिपूर्ति भी शामिल होगी।

बोलीदाता का दायित्व
परियोजना के एक भाग के रूप में किए गए दायित्वों के संबंध में बोलीदाताओं की कुल देयता, चाहे ऐसी देयता को जन्म देने वाली कार्रवाई का रूप या प्रकृति कुछ भी हो (चाहे अनुबंध, अपकृत्य या अन्यथा), वास्तविक होगी और अनुबंध के मूल्य तक सीमित होगी। बोलीदाता, उसके कर्मचारियों और उप-ठेकेदारों के कदाचार या घोर लापरवाही या पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट (यदि कोई हो) के उल्लंघन या गोपनीयता संबंधी दायित्वों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप बैंक के विरुद्ध दावों के मामले में बोलीदाता की देयता असीमित होगी। बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अनुबंध के निष्पादन के लिए उसके द्वारा तैनात कर्मचारियों/कार्मिकों के पूर्ववृत्त का उचित परिश्रम और सत्यापन पूरा हो गया है और बैंक द्वारा जाँच के लिए उपलब्ध है।

स्वतंत्र ठेकेदार
इसमें निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक और बोलीदाता के बीच कोई संयुक्त उद्यम, साझेदारी, प्रिंसिपल-एजेंट संबंध या सह-रोजगार या संयुक्त रोजगार है। बोलीदाता, इसके तहत बैंक को सेवाएं प्रदान करने में केवल एक स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में कार्य कर रहा है। बोलीदाता इस समझौते के द्वारा या अन्यथा बैंक के किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए, चाहे वह नियामक हो या संविदात्मक,

या बैंक के व्यवसाय या संचालन के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पक्ष सहमत हैं कि, लागू कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक; बोलीदाता ने ऐसा कोई कर्तव्य या दायित्व नहीं लिया है और न ही ले रहा है जो बैंक का अपने ग्राहकों या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति हो सकता है। बोलीदाता सभी नियमों, विनियमों, क़ानूनों और स्थानीय कानूनों का पालन करेगा और ऐसे किसी भी लागू कानून, विनियमन आदि का उल्लंघन नहीं करेगा। उप-अनुबंधों के संबंध में, जैसा लागू हो -

इस अनुबंध के प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाएगा । यह स्पष्ट किया जाता है कि बोलीदाता द्वारा उप-ठेकेदारों का उपयोग किए जाने के बावजूद, बोलीदाता SLA/NDA (गैर-प्रकटीकरण समझौता) के अंतर्गत सभी दायित्वों के निष्पादन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा, भले ही बोलीदाता द्वारा चुना गया उप-ठेकेदार अपने दायित्वों के निष्पादन में विफल या असमर्थ हो। बोलीदाता अपने कर्मचारियों और उप-ठेकेदारों के लिए श्रम कानूनों सहित वैधानिक लाभों के लिए, जैसा भी लागू हो, सभी देय राशियों और अंशदानों के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होगा, या जैसा भी मामला हो।

हो । बोलीदाता को इस आरएफक्यू के निष्पादन से संबंधित किसी भी कार्य को उप-ठेके पर देने/संसाधन आउटसोर्सिंग करने से पहले बैंक की पूर्व लिखित अनुमति लेनी चाहिए, या जैसा भी मामला हो। विक्रेता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस परियोजना के लिए उसके द्वारा तैनात कर्मचारियों/कार्मिकों के पूर्ववृत्त का उचित परिश्रम और सत्यापन पूरा हो गया है और बैंक द्वारा जाँच के लिए उपलब्ध है।

गोपनीयता

विक्रेता को यह वचन देना होगा कि वे आरएफपी समझौते के तहत प्राप्त किसी भी जानकारी को विश्वास में रखेंगे और ऐसी जानकारी के संबंध में पूरी गोपनीयता बनाए रखेंगे। विक्रेता को यह भी सहमत होना होगा:

- सूचना को केवल आरएफक्यू/ अनुवर्ती समझौते के प्रयोजनों के लिए और केवल बैंक द्वारा अनुमत रूप में बनाए रखना और उपयोग करना;
- केवल बैंक की पूर्व लिखित अनुमति से प्राधिकृत प्रतियां बनाना तथा उन पर वही गोपनीय या स्वामित्व नोटिस लगाना जो मूल प्रति पर मुद्रित या प्रदर्शित किए जा सकते हैं;
- अपने कर्मचारियों, एजेंटों तक सूचना की पहुंच और प्रकटीकरण को सख्ती से "जानने की आवश्यकता" के आधार पर प्रतिबंधित करना, इस खंड के अनुसार उनके समक्ष प्रकट की गई सूचना की गोपनीयता बनाए रखना और
- सभी सूचनाओं को गोपनीय जानकारी मानना ।

विक्रेता को बैंक द्वारा साझा किए गए मानक प्रारूप के अनुसार गैर-प्रकटीकरण समझौता (एनडीए) निष्पादित करना होगा।

लेखापरीक्षा और समीक्षा

बैंक, सेवा प्रदाता द्वारा आउटसोर्स की गई प्रक्रिया की समय-समय पर समीक्षा करेगा ताकि नए आउटसोर्सिंग जोखिमों की पहचान की जा सके। बोलीदाता को बैंक के मानकों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन और सुरक्षा एवं गोपनीयता नीतियों का पालन करना होगा। यदि सेवा प्रदाता ने किसी तीसरे पक्ष को आउटसोर्स किया है, तो संबंधित तीसरे पक्ष के साथ उचित समझौता होना आवश्यक है। बैंक को अपने कानूनी और नियामक दायित्वों को पूरा करने के लिए उचित उपाय के साथ हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। पुस्तकों और अभिलेखों/लेखापरीक्षा और निरीक्षण तक पहुँच में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

क) सुनिश्चित करें कि बैंक के पास सेवा प्रदाता के पास उपलब्ध आउटसोर्स गतिविधि से संबंधित सभी पुस्तकों, अभिलेखों और सूचनाओं तक पहुँच हो। प्रौद्योगिकी आउटसोर्सिंग के लिए, प्रशासनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक ऑडिट ट्रेल्स और लॉग्स को बनाए रखा जाना चाहिए और अनुमोदित अनुरोध के आधार पर बैंक के लिए सुलभ होना चाहिए।

(ख) बैंक को सेवा प्रदाता पर ऑडिट करने का अधिकार प्रदान करना, चाहे वह उसके आंतरिक या बाह्य ऑडिटरों द्वारा हो, या उसकी ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त बाह्य विशेषज्ञ द्वारा हो, तथा बैंक के लिए

प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में सेवा प्रदाता पर किए गए किसी भी ऑडिट या समीक्षा रिपोर्ट और निष्कर्ष की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना।
ग) भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को बैंक के दस्तावेज़ों तक पहुँच प्रदान करने हेतु एक खंड शामिल करें: लेनदेन के रिकॉर्ड, और आपको दी गई अन्य आवश्यक जानकारी, जो सेवा प्रदाताओं द्वारा उचित समय के भीतर संग्रहीत या संसाधित की जाती है। इसमें कागज़ और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखी गई जानकारी शामिल है।
घ) रिजर्व बैंक को बैंक के सेवा प्रदाता तथा उसके बही-खातों और खातों का अपने एक या अधिक अधिकारियों या कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण कराने के अधिकार को मान्यता दी गई।
बैंक कम से कम वार्षिक आधार पर सेवा प्रदाता की वित्तीय और परिचालन स्थिति की समीक्षा करेंगे। बैंक समय-समय पर सेवा प्रदाता की सुरक्षा और नियंत्रित वातावरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा और विशेषज्ञ मूल्यांकन भी करवाएगा। सेवा प्रदाता पर ऐसा मूल्यांकन और रिपोर्ट बैंक के आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों, या बैंक द्वारा नियुक्त एजेंटों द्वारा तैयार की जा सकती है।
ऑडिट कार्य समय के भीतर किया जाएगा। इसके अलावा, ऑडिट करने के लिए 15 दिन पहले सूचना देनी होगी।

बौद्धिक संपदा अधिकार

विक्रेता दावा करता है और प्रतिनिधित्व करता है कि उसने इस आरएफक्यू में निहित नियमों और शर्तों पर डिलिवरेबल्स प्रदान करने के लिए उचित अधिकार प्राप्त किए हैं। बैंक सहमत है और स्वीकार करता है कि इस आरएफक्यू में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और दस्तावेज़ीकरण और किसी भी अनुकूलन, अनुवाद और व्युत्पन्न कार्यों के संबंध में सभी बौद्धिक संपदा अधिकार, चाहे वे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, व्यापारिक रहस्य डिजाइन या अन्यथा के रूप में संरक्षित हों, विक्रेता द्वारा इस आरएफक्यू के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के संबंध में या उसके संबंध में प्रदान किए गए हों, वे विक्रेता या उसके लाइसेंसकर्ता की संपत्ति हैं और रहेंगी। विक्रेता प्रतिनिधित्व करता है कि विक्रेता के प्रदर्शन के दायित्वों के बावजूद, बैंक द्वारा वैधानिक या मालिकाना कारणों से तीसरे पक्ष के विक्रेताओं के साथ एक अलग समझौते में प्रवेश करना आवश्यक है। विक्रेता इस परियोजना के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के तृतीय पक्ष लाइसेंसधारकों से सभी आवश्यक प्राधिकरण और सहमति प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि किसी तृतीय पक्ष का दावा बैंक के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को खतरे में डालता है या बाधित करता है, तो विक्रेता बैंक पर कोई अतिरिक्त व्यय, प्रभार, फीस या लागत डाले बिना, (i) लाइसेंस प्राप्त नहीं करेगा ताकि बैंक इस निविदा और बाद के समझौते और लाइसेंस समझौते की शर्तों के अनुसार सॉफ्टवेयर का उपयोग जारी रख सके; या (ii) उल्लंघन से बचने के लिए सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना सॉफ्टवेयर को संशोधित करेगा; या (iii) सॉफ्टवेयर को एक संगत, कार्यात्मक रूप से समतुल्य और गैर-उल्लंघनकारी उत्पाद से प्रतिस्थापित करेगा। यदि कोई विसंगति या उल्लंघन सामने आता है, तो आरएफक्यू के दायरे में बोलीदाता द्वारा प्रदान किए गए सभी तृतीय पक्ष हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर/सेवा/सेवाएं बोलीदाता की जिम्मेदारी होंगी।
इस परियोजना के भाग के रूप में विक्रेता द्वारा आपूर्ति किए गए किसी तीसरे पक्ष के सॉफ्टवेयर या मॉड्यूल के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी जिम्मेदारी या दावे/मुकदमेबाजी या दंडात्मक देयता के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा और इससे मुक्त है।

सूचना स्वामित्व

सफल बोलीदाता द्वारा प्रेषित सभी जानकारी बैंक की होती है। बोलीदाता को जानकारी तक पहुँच या पुनर्वितरण का अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि इस संबंध में लिखित अनुमति न ली जाए। बोलीदाता समझता है कि जानकारी की उचित सुरक्षा न करने पर, जो पूरी तरह से बोलीदाता के कारण हुई साबित हो, दीवानी, आपराधिक या प्रशासनिक दंड लागू हो सकते हैं। बैंक द्वारा संवेदनशील मानी जाने वाली किसी भी जानकारी को सफल बोलीदाता द्वारा अनधिकृत प्रकटीकरण, संशोधन या पहुँच से सुरक्षित रखना होगा। यदि कोई अनधिकृत प्रकटीकरण होता है, तो बैंक का निर्णय अंतिम होगा। बैंक के सिस्टम पर पाई जाने वाली संवेदनशील जानकारी के प्रकार, जिनका बोलीदाता समर्थन करने या जिन तक पहुँच

रखने की योजना बना रहा है, उनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं: विशेष वैधानिक सुरक्षा, कानूनी कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई, शिकायत, आईटी सुरक्षा, लंबित मामले, दीवानी और आपराधिक जाँच आदि के अधीन जानकारी। सफल बोलीदाता, बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बोलीदाता द्वारा डिज़ाइन, विकसित या कार्यान्वित या बैंक के किसी भी स्थान पर मौजूद किसी भी सुरक्षा उपाय का विवरण किसी भी तरह से प्रकाशित या प्रकट नहीं करेगा। बोलीदाता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी उप-ठेकेदार जो ऐसे सुरक्षा उपाय या उसके किसी भाग को उपलब्ध कराने में शामिल हैं, वे बोलीदाता द्वारा डिजाइन, विकसित या क्रियान्वित या बैंक के किसी भी स्थान पर विद्यमान किसी भी सुरक्षा उपाय का विवरण बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी तरीके से प्रकाशित या प्रकट नहीं करेंगे।

गोपनीयता और सुरक्षा उपाय

i. विक्रेता, बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, विक्रेता द्वारा डिज़ाइन, विकसित या कार्यान्वित किए गए या बैंक के किसी भी स्थान पर मौजूद किसी भी सुरक्षा उपाय का विवरण किसी भी तरह से प्रकाशित या प्रकट नहीं करेगा। विक्रेता को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएँ और कार्यान्वयन योजनाएँ विकसित करनी होंगी कि आईटी संसाधन निर्दिष्ट उपयोगकर्ता (जैसे,

जाने , मरम्मत के लिए हटाए जाने, प्रतिस्थापित किए जाने या अपग्रेड किए जाने) से बैंक का सारा डेटा और संवेदनशील एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर हटा दिया जाता है। विक्रेता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे सुरक्षा उपाय या उसके किसी भाग को प्रदान करने में शामिल सभी उप-ठेकेदार, बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, विक्रेता द्वारा डिज़ाइन, विकसित या कार्यान्वित किए गए या बैंक के किसी भी स्थान पर मौजूद किसी भी सुरक्षा उपाय का विवरण किसी भी तरह से प्रकाशित या प्रकट नहीं करेंगे।

ii. विक्रेता इस बात से सहमत है और पुष्टि करता है कि वे सुरक्षा उल्लंघनों के मामलों का तुरंत खुलासा करेंगे।

iii. विक्रेता इस बात पर सहमत है कि वे दस्तावेजों को सुरक्षित रखेंगे।

शासन कानून और क्षेत्राधिकार

इस आरएफक्यू और उसके बाद के समझौते के प्रावधान भारत के कानूनों द्वारा शासित होंगे। इस आरएफक्यू/समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को मुंबई स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

वैधानिक और नियामक आवश्यकताएँ

समाधान को किसी भी नियामक, वैधानिक या कानूनी निकाय द्वारा परिभाषित सभी लागू आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा, जिसमें RBI या अन्य नियामक प्राधिकरण, भारत में न्यायिक न्यायालय और अनुबंध निष्पादन की तिथि तक शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे। यह आवश्यकता तकनीकी प्रतिक्रिया में विक्रेता द्वारा प्रदान किए गए उत्तरों का स्थान लेगी। वारंटी/एएमसी की अवधि के दौरान, बोलीदाता/विक्रेता को बिना किसी अतिरिक्त लागत के सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा, जिनमें किसी भी या सभी रिपोर्ट शामिल हैं, जिन्हें समय-समय पर किसी भी नियामक प्राधिकरण द्वारा परिभाषित किया गया है और जो इस आरएफक्यू/अनुबंध के दायरे में आते हैं। अनुबंध की अवधि के दौरान, नियामक/वैधानिक निकायों द्वारा सभी अनिवार्य आवश्यकताओं को बोलीदाता द्वारा परिवर्तन प्रबंधन के तहत बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदान किया जाएगा।

कानूनों का अनुपालन

1. सभी लागू कानूनों का अनुपालन: सफल बोलीदाता बैंक के सभी कानूनों के बारे में, जो उनके, उनके व्यवसाय, उनके कर्मचारियों या उनके प्रति उनके दायित्वों और इस कार्यक्षेत्र के सभी उद्देश्यों से संबंधित या लागू हैं, उनका पालन करने, उनका पालन करने, उनका अनुपालन करने का वचन देगा और बैंक और

उसके कर्मचारियों/अधिकारियों/स्टाफ/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों को ऐसा करने में उसकी ओर से किसी भी विफलता या चूक से और देयता के सभी दावों या मांगों और सभी परिणामों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा, क्षतिपूर्ति करेगा, हानिरहित रखेगा, बचाव करेगा और उसकी रक्षा करेगा जो उपरोक्त और उससे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य वैधानिक दायित्वों के अनुरूप या अनुपालन करने में उसकी ओर से किसी भी चूक या विफलता के कारण हो सकते हैं या उत्पन्न हो सकते हैं।

2. अनुमोदन/अनुमति/लाइसेंस प्राप्त करने में अनुपालन: विक्रेता को सभी ऐसी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस आदि तुरंत और समय पर प्राप्त करने होंगे, जो इस परियोजना के किसी भी उद्देश्य के लिए या किसी भी लागू कानून, सरकारी विनियमन/दिशानिर्देशों के तहत अपने स्वयं के व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक हो सकते हैं और परियोजना की अवधि के दौरान उन्हें वैध और लागू रखेंगे, और ऐसा करने में किसी भी विफलता या चूक की स्थिति में, बैंक और उसके कर्मचारियों/अधिकारियों/स्टाफ/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों को देयता के सभी दावों या मांगों और सभी परिणामों से क्षतिपूर्ति करेंगे, क्षतिपूर्ति करते रहेंगे, हानिरहित रखेंगे, बचाव करेंगे, सुरक्षित रखेंगे और पूरी तरह से मुआवजा देंगे जो कि बैंक की ओर से उपरोक्त और उससे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य वैधानिक दायित्वों के अनुरूप या अनुपालन करने में किसी भी चूक या विफलता के लिए हो सकते हैं या उत्पन्न हो सकते हैं और बैंक कंपनी को उचित समय के भीतर देयता के ऐसे किसी भी दावे या मांग की सूचना देगा।

3. यह क्षतिपूर्ति केवल बैंक के लिए एक उपाय है। विक्रेता ऊपर निर्दिष्ट वैधानिक दायित्वों का पालन करने की अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं है।

शर्तों का उल्लंघन

बैंक स्पष्ट करता है कि बैंक निषेधाज्ञा, निरोधक आदेश, वसूली का अधिकार, विशिष्ट निष्पादन या अन्य न्यायसंगत राहत पाने का हकदार होगा, जिसे सक्षम न्यायालय विक्रेता को आरएफपी/समझौते में निहित किसी भी उल्लंघन को करने से रोकने या अनुबंधों, दायित्वों और अभ्यावेदनों के निष्पादन को लागू करने से रोकने के लिए आवश्यक या उचित समझे। ये निषेधाज्ञा उपाय संचयी हैं और किसी भी अन्य अधिकारों के अतिरिक्त हैं।

तथा बैंक को कानून या इक्विटी के तहत उपचार प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें बिना किसी सीमा के किसी भी राशि और संबंधित लागतों की वसूली का अधिकार और क्षतिपूर्ति का अधिकार शामिल है।

भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों के अनुसार, यह आवश्यक है कि विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार इस नीति के अनुसरण में ऐसे अनुबंधों की खरीद और निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करें:

"भ्रष्ट आचरण" का अर्थ है खरीद प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन में किसी अधिकारी की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए मूल्यवान वस्तु की पेशकश, देना, प्राप्त करना या याचना करना और

"कपटपूर्ण व्यवहार" का अर्थ है, बैंक के नुकसान के लिए खरीद प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों की गलत प्रस्तुति, और इसमें विक्रेताओं के बीच कपटपूर्ण व्यवहार (प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले या बाद में) शामिल है, जो कृत्रिम रूप से गैर-प्रतिस्पर्धी स्तरों पर प्रस्ताव मूल्य स्थापित करने और बैंक को मुक्त और खुली प्रतिस्पर्धा के लाभों से वंचित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

बैंक किसी फर्म को अनुबंध के लिए अनिश्चित काल के लिए या एक निश्चित अवधि के लिए अयोग्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि उसे यह पता चलता है कि अनुबंध के लिए अनुशंसित विक्रेता ने संबंधित अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय भ्रष्ट या कपटपूर्ण व्यवहार किया है। बैंक किसी फर्म को अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय या अनुबंध के निष्पादन में भ्रष्ट या कपटपूर्ण व्यवहार करते समय किसी फर्म को अनुबंध के लिए, अनिश्चित काल के लिए या एक निश्चित अवधि के लिए, अयोग्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

लेन-देन से संबंधित सभी आवश्यक अनुपालन जैसे दाखिल किए जाने वाले रिटर्न में प्रकटीकरण, स्रोत पर कर संग्रहण (यदि लागू हो) आदि आपूर्तिकर्ता द्वारा विधिवत रूप से किए जाएंगे और किसी भी गैर-

अनुपालन या विलंबित अनुपालन के मामले में, बैंक को ब्याज और/या जुर्माना वसूलने का अधिकार होगा, जिसमें आपूर्तिकर्ता के मूल्य का 10% परिसमाप्त क्षति भी शामिल हो सकती है।
यह क्षतिपूर्ति केवल बैंक के लिए एक उपाय है। विक्रेता ऊपर निर्दिष्ट वैधानिक दायित्वों का पालन करने की अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं है।

प्रचार
किसी भी पक्ष द्वारा किया जाने वाला कोई भी प्रचार, जिसमें दूसरे पक्ष के नाम का उपयोग किया जाना हो, केवल उस दूसरे पक्ष की स्पष्ट लिखित अनुमति से ही किया जाना चाहिए।

संपूर्ण समझौता; संशोधन
यह समझौता बैंक और सफल बोलीदाता के बीच संपूर्ण समझौते को स्थापित करता है और इसके विषय-वस्तु से संबंधित उनके बीच किसी भी पूर्व प्रस्ताव, समझौते और अभ्यावेदन, चाहे लिखित हो या मौखिक, का स्थान लेता है। इस समझौते में कोई भी संशोधन या संशोधन दोनों पक्षों पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगा जब तक कि वह लिखित रूप में दोनों पक्षों के अधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत निष्पादित न किया गया हो।

उत्तरजीविता और पृथक्करणीयता
आरएफक्यू/अनुबंध का कोई भी प्रावधान या अनुबंध, जो स्पष्ट रूप से, या अपनी प्रकृति से, सफल बोलीदाता पर दायित्व डालता है, इस अनुबंध की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी जारी रहेगा। इस अनुबंध में शामिल एक या अधिक प्रावधानों की अमान्यता इस अनुबंध के शेष भाग या इसके किसी भाग को प्रभावित नहीं करेगी; और यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा एक या अधिक प्रावधानों को अमान्य या अप्रवर्तनीय घोषित किया जाता है, तो इस अनुबंध की व्याख्या इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा कोई प्रावधान इसमें सम्मिलित ही नहीं किया गया था।

3.13. सामान्य:

3.13.1 विक्रेता को बैंक के मानक प्रारूप के अनुसार विभिन्न नियमों और शर्तों को शामिल करते हुए **सेवा स्तर समझौते (एसएलए)** पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।

3.13.2. सूचीबद्ध होने पर विक्रेता को बैंक के प्रारूप में प्रदर्शन बैंक गारंटी के साथ एक सेवा स्तर समझौता निष्पादित करना होगा और सूचीबद्धता डेढ़ वर्ष की अवधि के लिए होगी, जो संतोषजनक सेवा पर अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए आगे नवीकृत की जा सकेगी, ऐसी स्थिति में PBGविस्तारित अवधि के साथ तीन महीने के लिए नवीकृत किया जाएगा।

3.13.3 यदि विक्रेता द्वारा प्रदान की गई सेवा असंतोषजनक पाई जाती है या यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि सूचीबद्धता के लिए प्रदान की गई जानकारी गलत है तो बैंक ऐसे विक्रेताओं को सूचीबद्ध सूची से नोटिस देकर हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.13.4 बैंक विक्रेता की सुविधाओं का निरीक्षण करने, उनकी वास्तविकता की जांच करने तथा बोली में दिए गए विवरण के अनुरूपता सुनिश्चित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.13.5 देरी से प्राप्त और/या किसी भी प्रकार से अपूर्ण या निर्धारित दस्तावेजों के बिना प्राप्त बोलियाँ अस्वीकार की जा सकती हैं। विक्रेता यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होगा कि आवेदन

निर्धारित तिथि और समय पर या उससे पहले बैंक तक पहुँच जाए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डाक में देरी सहित किसी भी कारण से निर्दिष्ट तिथि और समय पर आवेदन प्राप्त न होने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।

3.13.6 हार्डवेयर, बाह्य उपकरणों, पीसी और सर्वर का विस्तृत स्थान क्रय आदेश के साथ चयनित विक्रेता को प्रदान किया जाएगा।

3.13.7 हार्डवेयर, पीसी, सर्वर और प्रिंटर जो वारंटी से बाहर हो जाते हैं, उन्हें बाद में अनुबंध में विक्रेता द्वारा अनुबंध II और अनुबंध IV में दी गई दरों पर शामिल किया जाएगा और भुगतान तदनुसार किया जाएगा। *इसी प्रकार, जो मशीनें पुरानी हो जाती हैं और उपयोग में नहीं आतीं, उन्हें एएमसी से हटा दिया जाएगा* ।

3.13.8 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अनुलग्नक - I

आंध्र प्रदेश राज्य के विजयवाड़ा शहर, कृष्णा जिला , गुंटूर जिला और पश्चिम गोदावरी जिले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में पीसी, सर्वर, लाइन प्रिंटर, प्रिंटर, स्कैनर और बाह्य उपकरणों के लिए एएमसी और संबंधित सेवाओं के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आवेदन।

1.	कंपनी का नाम	
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	
3.	पंजीकरण संख्या और पंजीकरण तिथि	क. कंपनी अधिनियम 1956 के तहत _____ ख. जीएसटी के अंतर्गत _____ सी. बीएसटी के तहत _____ घ. अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
	फर्म का पैन नंबर	
4.	व्यवसाय की प्रकृति	
5.	प्रदान की जा सकने वाली सेवाएँ	
5.	क्या विजयवाड़ा में पूर्णतः कार्यात्मक सेवा/सहायता केंद्र उपलब्ध है?	हाँ या नहीं
6.	जनवरी 2014 से बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ निष्पादित कम से कम तीन सौदों का विवरण।	
7.	लाभ का विवरण	क. 2020-2021 ख. 2021-2022 सी. 2022-2023 डी. 2023-2024

दिनांक :

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
मुहर के साथ

अनुलग्नक II **सामग्री के बिल के साथ**

विजयवाड़ा क्षेत्र में विभिन्न शाखाओं में स्थित हार्डवेयर वस्तुओं की अस्थायी सूची

एएमसी के लिए उपलब्ध हार्डवेयर उपकरणों का विवरण				
क्रं. सं.	सामग्री	ब्राँड/मॉडल	कॉन्फ़िगरेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम	इकाई
1	गेटवे पीसी	एचसीएल/एसर/विप्रो/लेनोवो (i3/ AMD/Intel Pentium IV समतुल्य और core2 Duo) और अन्य समान ब्रांड	ओएस (विंडोज सर्वर 2016)	28
2	डेस्कटॉप पीसी	एचसीएल/एसर/विप्रो/लेनोवो (i3/ AMD/Intel Pentium IV समतुल्य और core2 Duo) और अन्य समान ब्रांड	ओएस (विंडोज सर्वर 2016, विंडोज 10 और 11 आदि)	191
3	132/136 कोल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर	टीवीएस एमएसपी, एप्सन डीएलक्यू 3500 और अन्य समान ब्रांड		24
4	80 कॉल. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर	EPSON LQ 300, 310 TVS MSP और अन्य समान ब्रांड		29
5	पासबुक प्रिंटर	EPSON PLQ-20, ओलिवेटी PR2, LIPI PB2 अन्य समान ब्रांड		22
6	लेजरजेट/एमएफ प्रिंटर	HP - HP 1020,1106,1108,Pro 400, ,SAMSUNG-ML 2851,2161, CANON और अन्य समान ब्रांड		6
7	स्कैनर	कैनन/ बेयरपॉ/ एचपी/ उमैक्स एस्ट्रा 4100/5600, कैनन लाइड 100/110/120, एप्सन वी39 और अन्य समान ब्रांड		23

हम समझते हैं कि ऊपर उल्लिखित संसाधनों की मात्रा और संख्या भिन्न हो सकती है और सटीक मात्रा/संख्या केवल क्रय आदेश में ही प्रदान की जाएगी।
*डेस्कटॉप पीसी की वर्तमान मात्रा से भिन्नता हो सकती है, जबकि वारंटी पूर्ण पीसी को जोड़ा जा सकता है और एएमसी के अप्रचलित पीसी को हटाया जा सकता है।

हम अनुबंध की अवधि के लिए प्रतिबद्ध और कुशल रखरखाव सेवाएं प्रदान करने का वचन देते हैं और न्यूनतम डेढ़ वर्ष की अवधि के लिए पुर्जों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करते हैं।

हमने दिनांकित प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और बिना शर्त उनका अनुपालन करने का वचन देते हैं।

दिनांक: (विक्रेता की मुहर और हस्ताक्षर)

अनुलग्नक III

लेटर-हेड पर घोषणा.

प्रति,
क्षेत्रीय प्रमुख
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
क्षेत्रीय कार्यालय
धूम कॉम्प्लेक्स, चौथी मंजिल,
श्रीनिवास नगर बैंक कॉलोनी,
विजयवाड़ा -520008
आंध्र प्रदेश राज्य.

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय : सूचना की सत्यता की पुष्टि:

हम प्रमाणित करते हैं कि प्रदान की गई सभी जानकारी हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है। हम यह भी समझते हैं कि यदि प्रदान की गई कोई भी जानकारी किसी भी समय गलत पाई जाती है और हमारे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार पर्याप्त/उपयुक्त नहीं हैं, तो हमारा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है और हम बैंक द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करेंगे और बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

हस्ताक्षर

दिनांक:
स्थान:

कंपनी की मुहर

अनुलग्नक-4

विजयवाड़ा क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं में हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों की एएमसी के लिए वाणिज्यिक बोली

.

<u>एएमसी के तहत उपलब्ध उपकरणों के लिए कोटेशन का प्रारूप</u>

क्रम सं.	सामान	प्रति यूनिट एएमसी दर (रुपये में)	कुल राशि (रु. में)
1	गेटवे पीसी		28 X @ रु =
2	डेस्कटॉप पीसी		191 X @ रु =
3	136 कॉलम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर		24 X @ रु =
4	80 कॉल. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर		29 X @ रु =
5	पासबुक प्रिंटर		22 X @ रु =
6	लेजरजेट/एमएफ प्रिंटर		6 X @ रु =
7	स्कैनर		23 X @ रु =
	कुल बोली राशि		रु .

नोट: उद्धृत मूल्य में जीएसटी शामिल नहीं होना चाहिए।
इनवॉइस प्रस्तुत करने पर वास्तविक दरों पर जीएसटी का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

उपरोक्त कोटेशन/कीमतों में लागू जीएसटी को छोड़कर सभी शुल्क शामिल हैं। हम पुष्टि करते हैं कि ऊपर दिए गए मूल्य न्यूनतम दो वर्षों की अवधि के लिए मान्य होंगे।_आगे की जानकारी वित्तीय वर्ष दर वित्तीय वर्ष बदल सकती है।

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

कंपनी की मुहर के साथ

जाँच सूची

1.लिफाफा -1 तकनीकी बोली

अनुलग्नक I
अनुलग्नक II
अनुलग्नक III
अनुबंध-ए
अनुबंध बी
अनुबंध- सी
अनुबंध- डी
अनुबंध-ई
अनुबंध- एफ
अनुलग्नक-जी
अनुबंध- एच
अनुबंध-आई

दस्तावेज़ लागत/ईएमडी के लिए डीडी या वैध एमएसएमई पंजीकरण का छूट प्रमाण पत्र।
सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को दी गई प्राधिकरण की प्रति

2. लिफाफा-2 मूल्य बोली (अनुलग्नक IV)

शाखाओं और कार्यालयों की जिलावार सूची: अनुलग्नक V

विजयवाड़ा क्षेत्र में विभिन्न शाखाओं/क्षेत्रों में स्थित हार्डवेयर वस्तुओं की अस्थायी सूची								
क्र. सं.	**शाखा का नाम**	**जीडब्ल्यूपीसी**	**डेस्कटॉप**	**132 कर्नल**	**80 कॉल**	**पीबी प्रिंटर**	**लेज़र प्रिंटर**	**स्कैनर**
1	अल्लुरू	1	5	1	1	1	0	1
2	अत्तिली	1	5	1	1	1	0	0
3	एलुरु	1	11	1	2	1	1	1
4	गवर्नर पेटा	1	9	1	1	2	0	1
5	गुंडुगोलानु	1	4	1	1	1	0	1
6	जग्गय्यापेट	1	4	1	1	1	0	1
7	जंगारेड्डीगुडेम	1	4	1	0	1	1	1
8	कंचिकचेरला	1	7	1	1	1	1	1
9	कनकीपदु	1	4	1	1	1	0	0
10	मुस्तबदा	1	4	1	1	1	0	0
11	मणिकोंडा	1	5	0	1	1	0	1
12	मंताडा	1	6	1	1	1	0	1
13	मायलावरम	1	8	1	1	1	0	1
14	नंदीगाम	1	7	1	1	1	0	1
15	नरसापुर	1	4	1	1	1	0	1
16	ताडेपल्लीगुडेम	1	8	0	2	1	2	1
17	टनुकु	1	10	1	2	1	0	1
18	केसरपल्ली	1	4	1	1	1	1	1
19	सिद्धार्थ नगर	1	5	1	1	1		1
20	गोल्लापुडी	1	4	1	1	1		1
21	पिडिपारु	1	4	1	1	1		1
22	गोरंटला	1	5	1	1			1
23	गुंटूर	1	9	1	1			1
24	कुंचनपल्ली	1	6	1	1			1
25	तेनाली	1	6		1			
26	तुमुलुरु	1	6	1	1			1
27	वीएसआर कॉलेज	1	4	1	1			1
28	क्षेत्रीय कार्यालय	1	33					
	कुल	**28**	**191**	**24**	**29**	**22**	**6**	**23**

प्रदर्शन बैंक गारंटी

प्रति,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
क्षेत्रीय कार्यालय
विजयवाड़ा.

M/S सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसका पंजीकृत कार्यालय चंद्रमुखी बिल्डिंग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 में है (जिसे आगे "क्रेता" कहा जाएगा) ने M/S _____ (जिसे आगे "ठेकेदार" कहा जाएगा) से उनके समझौते/खरीद आदेश संख्या_____ दिनांक _____ (जिसे आगे "अनुबंध" कहा जाएगा) में निहित नियमों और शर्तों पर कंप्यूटर हार्डवेयर (जिसे आगे "रसद " कहा जाएगा) खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की है, बशर्ते कि ठेकेदार क्रेता को उक्त अनुबंध की शर्तों और नियमों के अनुसार कंप्यूटर हार्डवेयर के उचित प्रदर्शन के संबंध में बैंक गारंटी प्रदान करे, जिसे ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किया जाना है और साथ ही ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध की शर्तों और नियमों के अनुसार कंप्यूटर हार्डवेयर और प्रणालियों के रखरखाव की गारंटी भी दी जाए;

1) हम, _____ (बैंक) (इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा), परिसर के प्रतिफल में और ठेकेदार के अनुरोध पर, इसके द्वारा गारंटी देते हैं और क्रेता को, केवल मांग पर और बिना किसी आपत्ति के, किसी भी समय _____ तक कोई धनराशि या धनराशि का भुगतान करने का वचन देते हैं, जो कुल _____ रुपये (केवल_____ रुपये) से अधिक नहीं होगी, जैसा कि क्रेता द्वारा ठेकेदार से देय होने का दावा किया जा सकता है, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के उक्त अनुबंध के अनुसार प्रदर्शन करने में विफलता के कारण क्रेता को हुई या होने वाली हानि या क्षति के रूप में है या सहन की जाएगी, और ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार कंप्यूटर हार्डवेयर और प्रणालियों को बनाए रखने में भी विफलता है।

2) इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, क्रेता का यह निर्णय कि क्या कंप्यूटर हार्डवेयर उक्त अनुबंध के अनुसार कार्य करने में विफल रहा है, और यह भी कि क्या ठेकेदार उक्त अनुबंध की शर्तों के अनुसार कंप्यूटर हार्डवेयर और प्रणालियों का रखरखाव करने में विफल रहा है, बैंक पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। बैंक क्रेता से इस गारंटी के अंतर्गत अपने दावे या दावों को स्थापित करने के लिए कहने का हकदार नहीं होगा, बल्कि बिना किसी आपत्ति, आपत्ति, सहारा, विवाद या विरोध के और/या ठेकेदार को कोई संदर्भ दिए बिना, केवल मांग पर ही क्रेता को तुरंत भुगतान कर देगा। क्रेता द्वारा बैंक से की गई ऐसी कोई भी मांग, क्रेता और ठेकेदार के बीच किसी भी मतभेद या किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थ या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी भी विवाद के बावजूद, निर्णायक और बाध्यकारी होगी।

3) यह गारंटी _____ को समाप्त हो जाएगी; क्रेता के दावे या दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उक्त तिथि अर्थात _____ को या उससे पहले बैंक से मांगे गए थे या अन्यथा लिखित रूप में बैंक को सूचित किए गए थे (यह तिथि गारंटी की समाप्ति की तिथि होनी चाहिए)।

4) बैंक यह भी वचन देता है कि वह इस गारंटी को इसके प्रचलन के दौरान क्रेता की लिखित पूर्व सहमति के बिना रद्द नहीं करेगा और यह गारंटी, जैसा भी मामला हो, पूर्वोक्त समाप्ति तिथि तक या इस गारंटी के सभी पक्षों द्वारा सहमत गारंटी की विस्तारित समाप्ति अवधि की अंतिम तिथि तक लागू रहेगी, जब तक कि इस गारंटी के प्रचलन के दौरान उक्त अनुबंध के अंतर्गत या इसके आधार पर क्रेता के सभी बकाया का विधिवत भुगतान नहीं कर दिया जाता है और उसके दावों की पूर्ति नहीं कर दी जाती है या उनका निर्वहन नहीं कर दिया जाता है या क्रेता यह प्रमाणित नहीं कर देता

है कि उक्त अनुबंध की शर्तों और नियमों का ठेकेदार द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया गया है और तदनुसार गारंटी का निर्वहन नहीं कर देता है।

5) इसमें निहित गारंटी को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए आप इस प्रकार कार्य करने के हकदार होंगे जैसे कि हम पूर्वोक्त रूप से हमारे द्वारा गारंटीकृत ठेकेदार के विरुद्ध आपके सभी दावों के संबंध में आपके प्रमुख देनदार हैं और हम इसके द्वारा स्पष्ट रूप से ज़मानत के अपने सभी अधिकारों और अन्य अधिकारों को छोड़ देते हैं, यदि कोई हो, जो किसी भी तरह से उपरोक्त या इस गारंटी के किसी अन्य प्रावधान के साथ असंगत हैं।

6) बैंक क्रेता के साथ इस बात पर सहमत है कि क्रेता को इस गारंटी के तहत बैंक के दायित्वों को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना ठेकेदार द्वारा समय-समय पर निष्पादन का समय बढ़ाने या किसी भी समय या समय-समय पर क्रेता द्वारा ठेकेदार के खिलाफ प्रयोग किए जाने वाले किसी भी अधिकार या शक्ति को स्थगित करने और उक्त अनुबंध के किसी भी नियम और शर्त को लागू करने या लागू करने से परहेज करने की पूरी स्वतंत्रता होगी, और बैंक को क्रेता की ओर से किसी भी परहेज, कार्य या चूक या क्रेता द्वारा दिखाए गए किसी अन्य अनुग्रह या किसी भी अन्य मामले या चीज के लिए ठेकेदार को दिए गए ऐसे किसी भी विस्तार के कारण अपने दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा, जो कि जमानत से संबंधित कानून के तहत बैंक को राहत देने का प्रभाव डालता है, लेकिन इस प्रावधान के लिए।

7) गारंटी ठेकेदार या बैंक के संविधान में किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी और न ही यह ठेकेदार, बैंक या क्रेता के साथ किसी भी समामेलन या अवशोषण द्वारा क्रेता के संविधान में किसी भी परिवर्तन से प्रभावित होगी, लेकिन अवशोषित या समामेलित कंपनी या प्रतिष्ठान के लिए सुनिश्चित और उसके द्वारा लागू और लागू होगी।

8) यह गारंटी और इसमें निहित शक्तियां और प्रावधान किसी अन्य गारंटी या गारंटियों के अतिरिक्त हैं, न कि सीमा के रूप में या उनके स्थान पर, जो हमारे द्वारा (चाहे अकेले या अन्य बैंकों के साथ संयुक्त रूप से) पूर्व में उल्लिखित ठेकेदार की ओर से पूर्व में उल्लिखित उसी अनुबंध के लिए और उसी उद्देश्य के लिए जारी की गई हैं जिसके लिए यह गारंटी जारी की गई है, और अब निरस्त नहीं हुई है और हम आगे उल्लेख करते हैं कि इस गारंटी का उद्देश्य ऐसी गारंटी या गारंटियों को रद्द करना या सीमित करना नहीं है, जो हमारे द्वारा पूर्व में उल्लिखित ठेकेदार की ओर से पूर्व में उल्लिखित उसी अनुबंध के लिए और उसी उद्देश्य के लिए जारी की गई हैं जिसके लिए यह गारंटी जारी की गई है।

9) इस गारंटी के अंतर्गत मांग या अन्य किसी प्रकार का कोई नोटिस विशेष कूरियर, टेलेक्स, फैक्स या पंजीकृत डाक द्वारा इस गारंटी में उल्लिखित हमारे स्थानीय पते पर भेजा जा सकता है।

10) इसमें निहित किसी भी बात के होते हुए भी:-

- मैं) रुपये (केवल _____ रुपये) से अधिक नहीं होगी ;
- ii) यह बैंक गारंटी _____ तक वैध होगी; और
- iii) हम इस बैंक गारंटी के अंतर्गत गारंटीकृत राशि या उसके किसी भाग का भुगतान करने के लिए केवल तभी उत्तरदायी हैं, जब आप हमें _____ (गारंटी की समाप्ति की तिथि) को या उससे पहले लिखित दावा या मांग प्रस्तुत करते हैं।

11) बैंक को संविधि/संविधान के तहत यह गारंटी जारी करने की शक्ति है और नीचे हस्ताक्षरकर्ता को बैंक की ओर से इस गारंटी पर हस्ताक्षर करने की पूरी शक्ति है।

दिनांक 2025 के _____दिन को _____ पर

बैंक के लिए एवं उसकी ओर से।

एसडी /- _____